रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260078 SG-DL-E-09012025-260078

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2025/पौष 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 330
No. 02]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2025/PAUSHA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 330

भाग II—I PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./ 102(5)/2025-1302.—िनम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड-I.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासकीय प्रशासन के साथ परामर्श से मामले पर सम्यक्किचार करने पर, निर्वाचन आयोग,एतद्दवारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के मौजूदा उपबंधों तथा आयोग के निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2025 में अनुबंध-I

225 DG/2025 (1)

(प्रति संलग्न) के अनुसार अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर होने पर डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में अधिसूचित करता है, उक्त निर्वाचनों का कार्यक्रम 10 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किए जाने के लिए निर्धारित है।

आदेश से.

बी.सी. पात्रा. सचिव

आदेश से.

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अनुबंध- I

- 1. दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल
- 2. दिल्ली परिवहन निगम
- 3. दिल्ली अग्निशमन सेवाएँ
- 4. दिल्ली जल बोर्ड
- 5. दिल्ली पुलिस
- 6. केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवाएं (सीएटीएस), जीएनसीटीडी
- 7. दिल्ली के मीडिया कर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से प्राधिकरण पत्र जारी किए गए हैं

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2025

No. CEO/COE/102(5)/2025/1302.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

No. 52/2025/SDR/Vol.-I.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 and on due consideration of the matter in consultation with the Government of NCT of Delhi, the Election Commission hereby notifies the persons employed in the essential services as mentioned in Annexure-I (copy enclosed) as a class of persons to give vote by postal ballot on account of being on duty on the day of poll in the current General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2025 as per the relevant provisions of existing the Conduct of Elections Rules, 1961, and the Commission's directions and guidelines. The programme of the said election is scheduled to be notified on 10th January, 2025.

By Order,

B.C. PATRA, Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Annexure-I

- 1. Hospitals under GNCT of Delhi
- 2. Delhi Transport Corporation
- 3. Delhi Fire Services
- 4. Delhi Jal Board
- 5. Delhi Police
- 6. Centralized Accident and Trauma Services(CATS), GNCTD
- 7. Media persons of Delhi to whom authorization letters have been issued with the approval of the Election Commission of India to cover polling day activities.